

भारत-श्रीलंका मत्स्य ग्रहण विवाद

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत-श्रीलंका मत्स्य ग्रहण विवाद इस तर्क को उजागर करता है कि **पाक जलडमरूमध्य** और **कच्चातवि द्वीप (Katchatheevu Islands)** के आसपास मत्स्य जीविकोपार्जन और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये एक 'मानवीय दृष्टिकोण' अपनाने की आवश्यकता है।



भारत-श्रीलंका मत्स्य ग्रहण विवाद क्या है?

- **स्थान:** यह विवाद **पाक जलडमरूमध्य** को लेकर है, जो **तमलिनाडु (भारत)** और **श्रीलंका** के उत्तरी प्रांत को अलग करने वाला एक संकरा जलमार्ग है। पाक जलडमरूमध्य पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है।
 - **कच्चातबु पाक जलडमरूमध्य में स्थिति एक छोटा, नरिजन द्वीप है।** यह विवाद इस 285 एकड़ के द्वीप से संबंधित है, जिसि वर्ष 1974 का **समुद्री सीमा समझौता (Maritime Boundary Agreement)** के तहत श्रीलंका को सौंपा गया था।
 - यद्यपि संप्रभुता कानूनी रूप से **श्रीलंका के पक्ष** में नश्चिति है, फरि भी भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने तथा धारमकि उद्देश्यों के लयि उस द्वीप पर जाने की अनुमति है।
 - **मात्स्यकि अधिकार** एक अलग मामला है जो ऐतहिसकि प्रथा, अंतरराष्टरीय कानून (**सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राषट्र अभसिमय (UNCLOS), 1982**) और द्वपिकषीय समझौतों द्वारा शासति होते हैं।
- **संबंधति समुदाय:** परंपरागत तमलिनाडु के मछुआरे और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मछुआरे सदयिों से इन जलक्षेत्रों को साझा करते आए हैं।
- **मुख्य विवाद:** भारतीय यांत्रिक ट्रॉलर्स श्रीलंकाई जलक्षेत्रों में प्रवेश कर **बॉटम ट्रॉलिंग** करते हैं, जसि **श्रीलंका ने वर्ष 2017 से प्रतबिंधति कयिा** हुआ है। यह प्रकरयिा प्रवाल भतितयिों, झींगा आवासों को क्षति पहुँचाती है और मत्स्य भंडार को नष्ट करती है।
 - छोटे स्तर के शलिपकार मछुआरे जीवकि संकट का सामना करते हैं, क्यौंकि यांत्रिक ट्रॉलर्स व्यावसायकि लाभ की खोज में साझा समुद्री संसाधनों को क्षति पहुँचाते हैं।
 - इस प्रकार यह संघर्ष सीमापार (भारत-श्रीलंका) और समुदाय के भीतर (तमलिनाडु में कारीगर बनाम ट्रॉलर संचालक) दोनों है।
- **हाई सीज़ (High Seas) संबंधी मुद्दे:** मत्स्य भंडार के क्षय के कारण भारतीय मछुआरे बढ़ती संख्या में **हाई सीज़ क्षेत्रों** की ओर बढ़ रहे हैं, जसिके कारण **मालदीव के जलक्षेत्र** में और **डरिगो गार्सयिा के पास बरिटिश नौसेना** द्वारा कथति तौर पर समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गरिफ्तारयिाँ हो रही हैं।

भारत तथा श्रीलंका के बीच मत्स्य-ग्रहण संबंधी समस्या का समाधान करने तथा धारणीय मात्स्यकि सुनश्चिति करने के लयि क्या उपाय कयि जा सकते हैं?

- **आजीवकि में अंतर:** परंपरागत और धारणीय तरीकों पर नरिभर **कारीगर मछुआरों (Artisanal Fishers)** को प्राथमकिता दें। इसके साथ ही **यंत्र चालति बॉटम ट्रॉलिंग (Mechanised Bottom Trawling)** को धीरे-धीरे समाप्त करें, क्यौंकि यह **समुद्री पारसिथितिकि तंत्र को नुकसान पहुँचाती है** और **भारतीय व श्रीलंकाई छोटे मछुआरों** दोनों की आजीवकि को प्रभावति करती है।
- **सहयोग ढाँचे को मज़बूत करना:** मछुआरा समूहों, वैज्ञानिकों और अधिकारयिों को शामिल करते हुए भारत-श्रीलंका फिशरीज मैनेजमेंट काउंसिल (Fisheries Management Council) की स्थापना करना।
 - अरद्ध-संलग्न पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में सहयोग का मार्गदर्शन करने के लयि **UNCLOS अनुच्छेद 123** का उपयोग करना।
 - संयुक्त कोटा (**बाल्टिक सागर मात्स्यकि सम्मेलन** के कोटा-साझाकरण मॉडल के समान), इसके अतरिकित मौसमी मछली पकड़ने के अधिकार या नयितरति मछली पकड़ने के दनि, वशिष रूप से कारीगर (परंपरागत) मछुआरों के लयि नरिधारति कयि जा सकते हैं।
- **वकिलपों में नविश करना:** भारत के 200 समुद्री मील के **वशिषिट आरथकि क्षेत्र (EEZ)** में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दें ताकतिट के नकिट संसाधनों पर दबाव कम कयिा जा सके।
 - मछुआरों को **वनिाशकारी मछली पकड़ने की पद्धति** से हटने के लयि प्रोत्साहति करने हेतु उन्हें **प्रशकिषण, आधुनकि जहाज़ और वतितीय सहायता** प्रदान की जाए।
- **कच्चातीवु का राजनीतकिरण न करना:** यह स्वीकार कयिा जाए कि कच्चातीवु पर संप्रभुता का मामला 1974 की संधिके तहत कानूनी रूप से सुलझ चुका है। यह मथिक दूर कयिा जाना चाहयि कि इसे "उपहार में दयिा गया" था, क्यौंकि ऐतहिसकि रकिॉर्ड बताते हैं कि **श्रीलंका का दावा इस पर अधिक मज़बूत था**।
 - इस बात पर ज़ोर दयिा जाए कि **मछली पकड़ने के अधिकार संप्रभुता** से अलग वशिष हैं और इन पर अब भी आपसी सहयोग से बातचीत की जा सकती है। कच्चातीवु का उपयोग **संयुक्त समुद्री अनुसंधान केंद्रों** के लयि कयिा जा सकता है और इसे पारसिथितिकि सहयोग के एक केंद्र बदि के रूप में वकिसति कयिा जा सकता है।
- **सामुदायकि सहानुभूति को बढ़ावा देना:** तमलिनाडु में सद्भावना बनाने के लयि **श्रीलंकाई तमलि मछुआरों** की युद्धकालीन कठनाइयों को उजागर करना। जन-से-जन संबंधों को प्रोत्साहति करना, यह याद दलिते हुए कि श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान तमलिनाडु ने मानवीय सहयोग प्रदान कयिा था।

नषिकर्ष:

कच्चातबु और पाक जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों को संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग के अवसर के रूप में देखा जाना चाहयि। एक **न्यायसंगत मात्स्यकि व्यवस्था**, जो पारंपरिक मछुआरों की आजीवकि और पारसिथितिकि की रक्षा करे, अत्यंत आवश्यक है। छोटे-छोटे विवाद दक्षणि एशयिा में शांति और पारस्परकि सम्मान की बड़ी दृष्टिपर हावी नहीं होने चाहयि।

#####

प्रश्न: भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद आजीवकि की आवश्यकताओं और पारसिथितिकिय स्थरिता के बीच टकराव को दर्शाता है। विविचना कीजिए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत-श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में वविचना कीजयि ककिसि प्रकार आतंरकि (देशीय) कारक वदिश नीतकि प्रभावति करते हैं । **(2013)**

प्रश्न. 'भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मत्तिर है ।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमकि की वविचना कीजयि । **(2022)**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-sri-lanka-fishing-dispute-and-way-forward>

